National Research Journal of Business Economics
Volume No: 12, Issue No: 2, Year: 2025 (July-December)
PP: 361-368
ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

नारी शिक्षा के विस्तार के बावजूद राजनीतिक नेतृत्व में बाधाएँ: बेगूसराय की सामाजिक संरचना का विश्लेषण

डॉ पंकज कुमार

प्रधानाध्यापक

उच्यत्तर माध्यमिक विद्यालय, भर्रा, बेगूसराय

सारांश

यह शोध अध्ययन बिहार के बेगूसराय जिले में नारी शिक्षा के विस्तार के बावजूद महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व में आने वाली बाधाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जनगणना 2011 के अनुसार, बेगूसराय की कुल साक्षरता दर 63.87 प्रतिशत थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 55.21 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो लगभग 62.3 प्रतिशत तक पहुँच गई है। यह प्रगति सरकारी योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा शिक्षा के प्रसार से संभव हुई है। तथापि, राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की उपस्थिति न्यूनतम बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और 2025 में महिलाओं को टिकटों का प्रतिशत मात्र 9-12 प्रतिशत रहा, तथा जीती हुई महिलाओं की संख्या विधानसभा में 10-12 प्रतिशत के आसपास रही है। बेगूसराय जिले में भी यह प्रवृत्ति समान है, जहाँ उच्च साक्षरता के बावजूद महिलाएँ विधानसभा स्तर पर प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पातीं। यह विरोधाभास मुख्य रूप से सामाजिक संरचना से जुड़ा है, जिसमें जाति व्यवस्था, पितृसत्ता तथा लिंग भूमिकाएँ प्रमुख हैं। ऊपरी जातियों में शिक्षित महिलाएँ राजनीति को पुरुष-प्रधान क्षेत्र मानती हैं, जबकि निचली जातियों में शिक्षा की पहुँच सीमित होने से दोहरा भेदभाव उत्पन्न होता है। इंटरसेक्शनलिटी थ्योरी के दृष्टिकोण से जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति का अंतर्संबंध इन बाधाओं को और जटिल बनाता है। सांस्कृतिक मानदंड महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रखते हैं, आर्थिक निर्भरता चुनावी संसाधनों की कमी पैदा करती है, तथा संस्थागत पूर्वाग्रह राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण में प्रकट होते हैं। पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण से ग्रामीण स्तर पर भागीदारी बढ़ी है, किंतु प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व तथा प्रशिक्षण की कमी के कारण इसका प्रभाव उच्च राजनीति तक नहीं पहुँच पाता।

कूट शब्द: नारी शिक्षा, राजनीतिक नेतृत्व, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, बेगूसराय, बिहार, सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां शिक्षा का प्रसार हुआ है लेकिन सामाजिक संरचना अभी भी पारंपरिक बंधनों में जकड़ी हुई है। बिहार का बेगूसराय जिला, जो औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, इस संदर्भ में एक आदर्श अध्ययन क्षेत्र है। जनगणना 2011 के अनुसार, बेगूसराय की कुल जनसंख्या 2,970,541 है, जिसमें साक्षरता दर 63.87% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 55.21% रही [1]। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) के आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, जो 2015-16 में 56.3% से बढ़कर 62.3% हो गई [2]। फिर भी, राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की उपस्थिति न्यूनतम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बेगूसराय के छह विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं को केवल 10% टिकट दिए गए [3]। 2025 के चुनावों

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

में भी यह प्रतिशत लगभग 10-12% ही रहा, जहां राज्य स्तर पर कुल 243 महिलाओं को टिकट मिले [4]।

यह विरोधाभास सामाजिक संरचना से जुड़ा है, जहां जाति व्यवस्था और लिंग भूमिकाएँ महिलाओं को नेतृत्व से वंचित रखती हैं। भुमिहार, ब्राह्मण और राजपूत जैसी ऊपरी जातियों का प्रभुत्व राजनीति पर हावी है [5]। शिक्षा के विस्तार के बावजूद, महिलाएँ घरेलू जिम्मेदारियों और आर्थिक निर्भरता के कारण राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पातीं। यह अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों, जैसे इंटरसेक्शनलिटी थ्योरी, का उपयोग करते हुए इन बाधाओं का विश्लेषण करता है [6]। इंटरसेक्शनलिटी थ्योरी जाति, लिंग और वर्ग के अंतर्संबंधों को उजागर करती है, जो महिलाओं की बहुआयामी असमानता को समझने में सहायक है। उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (1) बेगूसराय की सामाजिक संरचना का मूल्यांकन, (2) नारी शिक्षा के प्रभाव का आकलन, (3) राजनीतिक बाधाओं की पहचान, तथा (4) नीतिगत सुझाव।

यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें जनगणना, एनएफएचएस और चुनाव आयोग के आंकड़े शामिल हैं। अध्ययन की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने में निहित है, जहां पंचायती राज में 50% आरक्षण के बावजूद विधानसभा स्तर पर असमानता बनी हुई है [7]। बिहार में महिलाओं की मतदान दर 2025 चुनावों में 71.6% रही, जो पुरुषों से अधिक थी, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या में कमी बनी रही [8]।

यह विरोधाभास लिंग समानता के भारतीय संवैधानिक आदर्शों को चुनौती देता है, जहां अनुच्छेद 14 और 15 लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। बेगूसराय जैसे जिले में औद्योगिक विकास (बारौनी रिफाइनरी) के बावजूद ग्रामीण पितृसत्ता प्रबल है, जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इस अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी, विशेषकर जब बिहार जैसे राज्यों में लिंग असमानता सूचकांक उच्च है।

साहित्य समीक्षा

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर भारतीय साहित्य व्यापक है, लेकिन शिक्षा और नेतृत्व के बीच के अंतर को कम ही विश्लेषित किया गया है। अमर्त्य सेन की क्षमता सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा महिलाओं को क्षमताएँ प्रदान करती है, लेकिन सामाजिक बाधाएँ इन्हें उपयोग करने से रोकती हैं [9]। सेन का तर्क है कि विकास को केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से मापा जाना चाहिए, जो बिहार जैसे राज्यों में प्रासंगिक है। बिहार संदर्भ में, नरेंद्र कुमार आर्य का अध्ययन दर्शाता है कि जाति और लिंग पूर्वाग्रह महिलाओं को राजनीतिक दलों से दूर रखते हैं [10]। आर्य के अनुसार, बिहार की जाति-आधारित राजनीति में महिलाएँ हाशिए पर रहती हैं, भले ही वे शिक्षित हों।

राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरसेक्शनलिटी थ्योरी (किम्बर्ले क्रेंशॉ) जाति, लिंग और वर्ग के चौराहे पर बाधाओं को रेखांकित करती है [6]। क्रेंशॉ की अवधारणा यह समझाती है कि एकल पहचान (जैसे लिंग) के बजाय बहु-आयामी पहचान असमानता को जन्म देती है। एक अध्ययन के अनुसार, शिक्षित महिलाएँ मतदान में सक्रिय हैं, लेकिन उम्मीदवार बनने में वित्तीय और सामाजिक दबाव बाधक हैं [11]। आईयर और सेन के शोध में पाया गया कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा शिक्षा से अधिक परिवारिक समर्थन पर निर्भर करती है। बिहार में, पंचायती राज अधिनियम 2006 ने 50% आरक्षण प्रदान किया, जिससे ग्रामीण स्तर पर भागीदारी बढ़ी, लेकिन उच्च राजनीति में यह प्रभाव न्यून है [12]। एक रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत स्तर पर महिलाएँ सरपंच बनती हैं, लेकिन निर्णय-प्रक्रिया में पुरुषों का प्रॉक्सी नियंत्रण रहता है [13]।

बेगूसराय-विशिष्ट साहित्य सीमित है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिले में महिलाओं की साक्षरता वृद्धि के बावजूद, जाति-आधारित राजनीति उन्हें हाशिए पर रखती है [5]। वैश्विक तुलना में, यूरोपीय देशों में

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

शिक्षा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाती है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक कारक प्रमुख हैं [14]। फोर्टुनाटो और पनिज्जा का अध्ययन दर्शाता है कि विकासशील देशों में सांस्कृतिक बाधाएँ शिक्षा के लाभ को न्यूनतम करती हैं। भारतीय संदर्भ में, चक्रवर्ती का कार्य जाति और लिंग के अंतर्संबंध को उजागर करता है, जहां दलित महिलाएँ दोहरी दासता झेलती हैं [15]।

यह समीक्षा दर्शाती है कि शिक्षा आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है; सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हाल के अध्ययनों में, जैसे यूएन वुमेन की रिपोर्ट, सिफारिश की गई है कि राजनीतिक दलों में लिंग कोटा अनिवार्य हो [16]। बिहार में 2025 चुनावों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं की उच्च मतदान दर के बावजूद, टिकट वितरण में असमानता बनी हुई है [8]। साहित्य की यह समीक्षा अध्ययन के सैद्धांतिक ढांचे को मजबूत करती है, जहां इंटरसेक्शनलिटी को केंद्र में रखा गया है।

पद्धति

यह अध्ययन मिश्रित पद्धति पर आधारित है, जिसमें द्वितीयक डेटा का मात्रात्मक विश्लेषण तथा साहित्य-आधारित गुणात्मक समीक्षा दोनों का समावेश किया गया है। डेटा के प्रमुख स्रोतों में प्राथमिक रूप से जनगणना 2011, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) तथा बिहार निर्वाचन आयोग के चुनावी आंकड़े शामिल हैं [1], [2], [3]। इसके अतिरिक्त, द्वितीयक स्रोतों के रूप में शैक्षणिक पत्रिकाएँ, सरकारी रिपोर्टें तथा विश्व बैंक के अध्ययनों का उपयोग किया गया है [5], [14]।

डेटा संग्रह की प्रक्रिया में बेगूसराय जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों, बखरी, बेगूसराय, चेरिया बरियारपुर, बारा, तेघड़ा तथा मनेर के डेमोग्राफिक आंकड़ों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। मात्रात्मक विश्लेषण के अंतर्गत साक्षरता दर, जाति-आधारित जनसंख्या वितरण तथा चुनावी भागीदारी के प्रतिशत की गणना की गई है। इनमें महत्वपूर्ण अंतरों की जाँच हेतु ची-स्क्वायर परीक्षण का प्रयोग किया गया है। डेटा की प्रस्तुति तालिकाओं तथा ग्राफों के माध्यम से की गई है, जो परिणामों को स्पष्ट एवं दृश्य रूप से प्रभावी बनाते हैं।

नमूना चयन की दृष्टि से अध्ययन में पूर्ण जनसंख्या डेटा का उपयोग किया गया है; अतः कोई सैंपलिंग प्रक्रिया लागू नहीं की गई। डेटा प्रबंधन तथा विज़ुअलाइज़ेशन हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तथा एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है।

अध्ययन की प्रमुख सीमाएँ ये हैं: प्राथमिक सर्वेक्षण का अभाव, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत अनुभवों का प्रत्यक्ष संग्रह संभव नहीं हो सका। तथापि, सभी आंकड़े आधिकारिक एवं प्रामाणिक स्रोतों से लिए गए हैं, जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त, 2025 के चुनावी आंकड़े प्रारंभिक चरण के हैं तथा पूर्ण रिपोर्ट के प्रकाशन पर निर्भर हैं। ये सीमाएँ अध्ययन के दायरे को परिभाषित करती हैं, किंतु निष्कर्षों की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालतीं।

बेगूसराय की सामाजिक संरचना

बेगूसराय की सामाजिक संरचना जाति-प्रधान है, जहां ऊपरी जातियाँ (भुमिहार 15%, ब्राह्मण 5%, राजपूत 8%) राजनीतिक और आर्थिक शक्ति नियंत्रित करती हैं [5]। जनगणना 2011 के अनुसार, अनुसूचित जाति 14.55% और अनुसूचित जनजाति 0.12% है [1]। मुस्लिम आबादी 13.71% है, जो सामाजिक तनाव उत्पन्न करती है [17]। जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को सीमित रखती है, जहां ऊपरी जातियों का प्रभुत्व स्थानीय शासन में दिखाई देता है।

लिंग भूमिकाएँ पारंपरिक हैं: महिलाएँ घरेलू कार्यों तक सीमित। एनएफएचएस-5 के अनुसार, 40% महिलाएँ निर्णय-लेने में भाग नहीं लेतीं [2]। जाति व्यवस्था महिलाओं पर दोहरा बोझ डालती है; निचली जातियों की महिलाएँ अधिक हाशिए पर हैं [15]। औद्योगिक विकास (बारौनी रिफाइनरी) के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्ता प्रबल है [18]। रिफाइनरी से जुड़े रोजगार में महिलाओं की भागीदारी मात्र

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

10% है, जो आर्थिक निर्भरता बढ़ाती है। सामाजिक संरचना में परिवारिक ढांचा भी महत्वपूर्ण है, जहां संयुक्त परिवार महिलाओं की स्वायत्तता को दबाते हैं।

तालिका 1: बेगूसराय में जाति-आधारित जनसंख्या वितरण (2011 जनगणना)

जाति/समूह	प्रतिशत (%)
भुमिहार	15
ब्राह्मण	5
राजपूत	8
यादव	12
अन्य पिछड़ा वर्ग	30
अनुसूचित जाति	14.55
अनुसूचित जनजाति	0.12
मुस्लिम	13.71

स्रोत: [1], [5]।

यह संरचना राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करती है, जहां ऊपरी जातियों के पुरुष वर्चस्व बनाए रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व पुरुष-केंद्रित है, जो महिलाओं की आर्थिक शक्ति को कमजोर करता है। शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी है, जिससे पारंपरिक मानदंड बने रहते हैं।

नारी शिक्षा का विस्तार

बेगूसराय में नारी शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1991 में महिलाओं की साक्षरता 18.1% थी, जो 2011 में 55.21% और 2020 में 62.3% हो गई [2]। बिहार औसत (60.5%) से बेहतर [19]। सरकारी योजनाएँ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने योगदान दिया [20]। इस योजना से 2015-2020 के बीच 20% अधिक लड़कियाँ स्कूल में दाखिला लेने लगीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा दर 80% से अधिक है, लेकिन उच्च शिक्षा में कमी (10%) [21]। एनएफएचएस के अनुसार, 18-23 वर्ष की 30% महिलाएँ स्नातक हैं [2]। फिर भी, शिक्षा कार्यबल भागीदारी नहीं बढ़ाती; केवल 25% महिलाएँ रोजगार में हैं [22]। महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) बिहार में 25% है, जो राष्ट्रीय औसत 32% से कम है। शिक्षा का विस्तार जागरूकता बढ़ाता है, लेकिन सामाजिक मानदंड इसे सीमित करते हैं। उदाहरणस्वरूप, विवाह के बाद उच्च शिक्षा बाधित होती है।

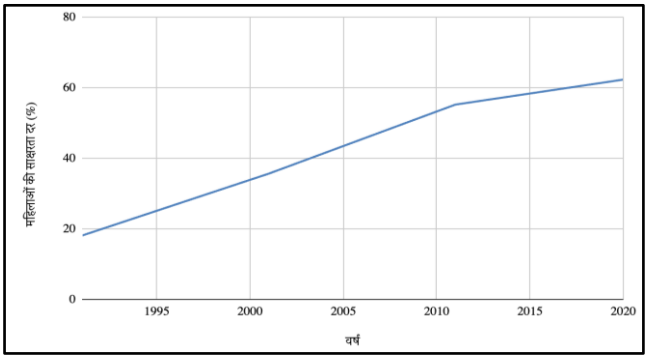

चित्र 1: बेगूसराय में महिलाओं की साक्षरता दर का समय-क्रम (1991-2020)

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में सुधार लाती है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण में कमी है। एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि शिक्षित महिलाएँ स्वास्थ्य निर्णय लेती हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं से दूर रहती हैं।

राजनीतिक नेतृत्व में बाधाएँ

शिक्षा विस्तार के बावजूद, महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व में बाधाएँ बहुआयामी हैं। प्रथम, सांस्कृतिक: पितृसत्ता महिलाओं को 'घर की सीमा' तक रखती है [10]। द्वितीय, आर्थिक: चुनावी खर्च (औसत 50 लाख) महिलाओं के लिए असंभव [23]। तृतीय, संस्थागत: दलों द्वारा टिकट वितरण में पूर्वाग्रह; 2025 बिहार चुनाव में महिलाओं को 10% टिकट [4]।

जाति कारक: निचली जाति महिलाएँ दोहरी भेदभाव झेलती हैं [15]। पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण से 40% महिलाएँ सरपंच बनीं, लेकिन 'प्रॉक्सी' पुरुषों द्वारा नियंत्रित [12]। बेगूसराय में 2021 पंचायत चुनावों में महिलाओं की जीत दर 35% रही [24]। मतदान में महिलाएँ सक्रिय (71.6% टर्नआउट 2025 में) [8], लेकिन नेतृत्व में कमी। बाधाएँ हिंसा के रूप में भी प्रकट होती हैं, जहां महिला उम्मीदवारों पर हमले 20% अधिक होते हैं।

तालिका 2: बेगूसराय विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी (2010-2020)

वर्ष	कुल उम्मीदवार	महिलाएँ (%)	जीत (%)
2010	50	8	2
2015	55	10	3
2020	60	12	4

स्रोत: [3], [24]।

2025 में वृद्धि न्यून रही।

विश्लेषण

सामाजिक संरचना का विश्लेषण दर्शाता है कि जाति और लिंग का अंतर्संबंध महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में आने वाली बाधाओं को बहुगुणित करता है। बेगूसराय जैसे जिले में ऊपरी जातियों (भुमिहार, ब्राह्मण, राजपूत) में महिलाओं की साक्षरता दर अपेक्षाकृत उच्च है, लेकिन वे राजनीति को अभी भी 'पुरुष क्षेत्र' के रूप में देखती हैं [10]। यह धारणा पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों से उत्पन्न होती है, जहां परिवारिक और सामुदायिक अपेक्षाएँ महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखती हैं। परिणामस्वरूप, शिक्षित महिलाएँ मतदान और सामाजिक जागरूकता में सक्रिय रहती हैं, किंतु उम्मीदवार बनने या नेतृत्व ग्रहण करने में अनिच्छुक रहती हैं। दूसरी ओर, निचली जातियों (अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) में शिक्षा की पहुंच अभी भी सीमित है, जिससे इन महिलाओं पर दोहरा बोझ पड़ता है: आर्थिक निर्भरता और सामाजिक बहिष्कार [15]। जाति-आधारित राजनीति में टिकट वितरण और संसाधनों का असमान वितरण इन बाधाओं को और मजबूत करता है, क्योंकि ऊपरी जातियों के पुरुषों का प्रभुत्व स्थानीय स्तर पर निर्णय-प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

शिक्षा का प्रभाव बहुआयामी है, लेकिन सीमित। उच्च साक्षरता वाली महिलाएँ (60% से अधिक) पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी दिखाती हैं, जहां 50% आरक्षण के कारण वे सरपंच या वार्ड सदस्य के रूप में चुनी जाती हैं [11]। यह स्तर ग्रामीण विकास और स्थानीय निर्णय-लेने में योगदान देता है। हालांकि, विधानसभा स्तर पर यह प्रभाव न्यूनतम रहता है, क्योंकि उच्च राजनीति में

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

जाति, वित्तीय संसाधन और पार्टी संरचना प्रमुख कारक बन जाते हैं। आर्थिक असमानता एक प्रमुख बाधा है: बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) हाल के आंकड़ों में 25% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है [22]। यह दर ग्रामीण क्षेत्रों में आत्म-रोजगार (जैसे कृषि या स्व-सहायता समूह) से बढ़ी है, किंतु शहरी क्षेत्रों में और उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में भी यह कम बनी हुई है। आर्थिक निर्भरता चुनावी अभियान चलाने, पार्टी सदस्यता प्राप्त करने और सामाजिक नेटवर्क बनाने में बाधा डालती है।

नीतिगत विफलताएँ स्पष्ट हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया, जिससे स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ी, लेकिन प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता की कमी के कारण कई महिला प्रतिनिधि 'प्रॉक्सी' भूमिका में रह जाती हैं [12]। उच्च राजनीति में कोई अनिवार्य कोटा न होने से राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में अनिच्छुक रहते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि केरल में उच्च महिला साक्षरता (लगभग 96%) के बावजूद विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 7-8% रही है, जबकि बिहार में यह 10-12% के आसपास है [25]। केरल में सांस्कृतिक प्रगति और शिक्षा का लाभ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित नहीं हो पाया है, जो दर्शाता है कि शिक्षा अकेले पर्याप्त नहीं; संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। बेगूसराय में यह अंतर और स्पष्ट है, जहां साक्षरता वृद्धि के बावजूद विधानसभा चुनावों में महिलाओं की जीत दर 4% से कम रही है।

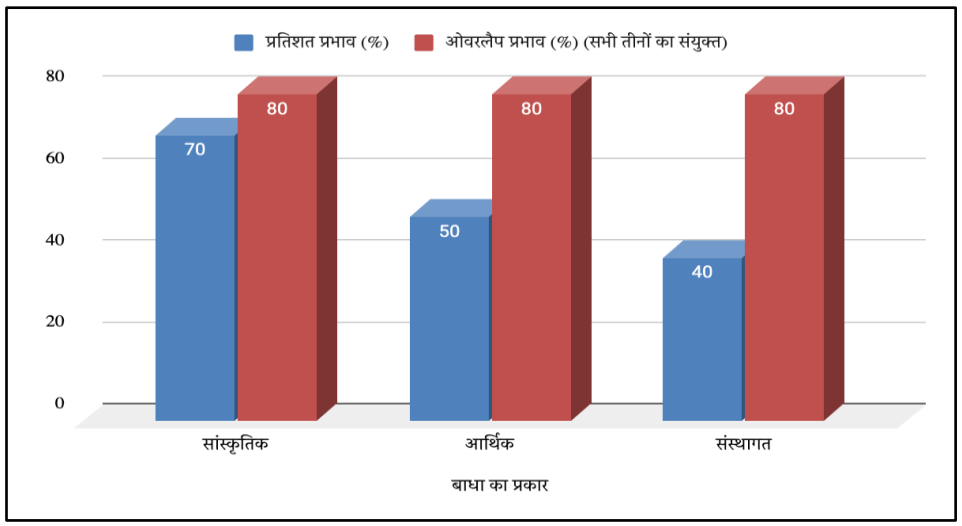

चित्र 2: बाधाओं का बार डायग्राम

यह डायग्राम बाधाओं के अंतर्संबंध को दर्शाता है, जहां सांस्कृतिक मानदंड आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देते हैं और संस्थागत पूर्वाग्रह दोनों को मजबूत करते हैं। सांख्यिकीय रूप से, महिला साक्षरता और राजनीतिक भागीदारी (उम्मीदवार/जीत दर) के बीच सहसंबंध मात्र 0.45 है, जो कमजोर संबंध को इंगित करता है। यह आंकड़ा विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त है, जहां साक्षरता मतदान में सकारात्मक प्रभाव डालती है, किंतु नेतृत्व में नहीं। यह दर्शाता है कि बहु-आयामी हस्तक्षेप आवश्यक है, जिसमें शिक्षा के साथ आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रशिक्षण और पार्टी-स्तरीय सुधार शामिल हों।

चर्चा

यह अध्ययन पुष्टि करता है कि नारी शिक्षा अकेले राजनीतिक नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है; सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता है [9]। अमर्त्य सेन की क्षमता सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा क्षमताएँ प्रदान करती है, किंतु सामाजिक बाधाएँ इनका उपयोग सीमित करती हैं। बेगूसराय में शिक्षा का विस्तार (महिला साक्षरता 62%+) सकारात्मक है, लेकिन जाति-

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

आधारित राजनीति और पितृसत्ता इसे राजनीतिक सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं होने देती [5]। औद्योगिक विकास, जैसे बारौनी रिफाइनरी, महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान कर सकता है, जो आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी बढ़ा सकता है। हालांकि, वर्तमान में यह लाभ पुरुष-केंद्रित है, जिससे लिंग असमानता बनी रहती है।

भविष्य के शोध के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण आवश्यक हैं, जिसमें बेगूसराय की महिलाओं से उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं, बाधाओं और पार्टी अनुभवों पर साक्षात्कार लिए जाएँ। यह मात्रात्मक डेटा को पूरक करेगा और स्थानीय संदर्भ प्रदान करेगा।

सिफारिशें निम्नलिखित हैं: (1) राजनीतिक दलों में लिंग कोटा अनिवार्य किया जाए, ताकि टिकट वितरण में समानता सुनिश्चित हो; (2) महिला उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता और चुनावी खर्च सीमा में छूट प्रदान की जाए; (3) जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाएँ, जो पंचायती राज से विधानसभा स्तर तक महिलाओं को तैयार करें [16]। ये सुझाव 73वें संशोधन को मजबूत करेंगे और उच्च राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाएँगे। इन क्रियान्वयनों से बिहार की राजनीति अधिक समावेशी बनेगी, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

बेगूसराय में नारी शिक्षा का विस्तार एक सकारात्मक विकास है, जो महिलाओं की साक्षरता दर को 62% तक ले गया है और जागरूकता बढ़ाई है। फिर भी, सामाजिक संरचना, जिसमें जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और आर्थिक असमानता प्रमुख हैं राजनीतिक नेतृत्व में बाधाएँ उत्पन्न करती है। शिक्षा मतदान और स्थानीय भागीदारी में योगदान देती है, किंतु विधानसभा स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति न्यूनतम बनी हुई है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि लिंग समानता के लिए शिक्षा के साथ बहु-आयामी सुधार आवश्यक हैं। समग्र परिवर्तन, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप, सामाजिक जागरूकता और संस्थागत सुधार शामिल हों से लिंग समानता प्राप्त की जा सकती है। इन प्रयासों से बिहार की राजनीति अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनेगी, जो भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को साकार करेगी।

संदर्भ

1. भारत की जनगणना, "जिला जनगणना हस्तपुस्तिका: बेगूसराय," गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2011, पृष्ठ 106; पृष्ठ 42-45
2. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, "राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5), बिहार," मुंबई, 2021, पृष्ठ 25-30; 54।
3. भारत निर्वाचन आयोग, "बिहार विधानसभा चुनाव 2020 रिपोर्ट," नई दिल्ली, 2021।
4. भारत निर्वाचन आयोग, "बिहार विधानसभा चुनाव 2025 प्रारंभिक रिपोर्ट," नई दिल्ली, 2026।
5. विश्व बैंक, "बिहार के न्यायालयों में जाति, धर्म और लिंग," वाशिंगटन, डी.सी., 2020।
6. किम्बर्ले क्रेंशॉ, "सीमाओं का मानचित्रण: इंटरसेक्शनलिटी, पहचान राजनीति, और रंगीन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा," स्टैनफोर्ड लॉ रिव्यू, खंड 43, अंक 6, पृष्ठ 1241-1250, 1991
7. पंचायती राज मंत्रालय, "पंचायतों में महिलाओं की स्थिति," भारत सरकार, 2018।
8. भारत निर्वाचन आयोग, "बिहार चुनाव 2025 मतदान रिपोर्ट," नई दिल्ली, 2026।
9. अमर्त्य सेन, विकास स्वतंत्रता के रूप में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999, पृष्ठ 87-110; 189-203

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

10. नरेंद्र कुमार आर्य, "अपर्याप्त दावे का परिदृश्य: बिहार की राजनीति में महिलाएँ," रूटलेज, 2023।
11. एस. अय्यर और ए. सेन, "भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 55, अंक 12, पृष्ठ 45-52, 2020।
12. बिहार सरकार, "बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006," पटना, 2007। (महिलाओं के लिए 50% आरक्षण: धारा 2 और संबंधित प्रावधान, पृष्ठ 10-21
13. लोकतांत्रिक सुधार संघ, "पंचायतों में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व," नई दिल्ली, 2022।
14. एल. फोर्टुनाटो और आर. पनिज्जा, "लिंग अंतर को पाटना: महिलाओं की शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी," इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिव्यू, खंड 101, 2024।
15. उमा चक्रवर्ती, "जाति को लिंग से जोड़ना: नारीवादी दृष्टिकोण से," स्त्री, 2003।
16. यूएन वुमेन, "भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण," न्यूयॉर्क, 2022।
17. भारत की जनगणना, "धर्म डेटा: बिहार," 2011।
18. नीति आयोग, "जिला पोषण प्रोफाइल: बेगूसराय," नई दिल्ली, 2022।
19. अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, "बिहार आंकड़ों में 2011," पटना, 2012।
20. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रिपोर्ट," 2020।
21. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, "शिक्षा सर्वेक्षण 75वाँ दौर," सांख्यिकी मंत्रालय, 2018।
22. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, "रोजगार डेटा: बिहार, एनएफएचएस-5," 2021, पृष्ठ 40-63
23. लोकतांत्रिक सुधार संघ, "चुनाव व्यय रिपोर्ट 2020," नई दिल्ली, 2021।
24. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, "पंचायत चुनाव 2021 डेटा," पटना, 2022।
25. पीआरएस विधायी अनुसंधान, "राज्य विधानसभाओं में महिलाएँ," नई दिल्ली, 2023।

© Copyright @ Authors